समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 01 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जनवरी, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

फिर भड़की आरक्षण की आग

भरतपुर जिले में दिल्ली- मुम्बई रेलवे ट्रेक के पास जाटों का महापड़ाव शुरू

राजस्थान के भरतपुर में जाट समाज केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ये आंदोलन उच्चौन थाना क्षेत्र के गांव जयचौली में हो रहा है।

भरतपुर। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का भरतपुर जिले में उच्चौन के जयचौली गांव में महापड़ाव जारी है। प्रशासन ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। जयचौली के रेलवे स्टेशन जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए हुए हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है।

आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि जाट समाज के लिए केंद्र आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने 17 जनवरी से गांधीवादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है। जाट समाज हमेशा अनुशासित रहा है। जाट समाज ने सोच समझ कर यह निर्णय लिया है कि भगवान श्रीराम के उद्घाटन का कार्यक्रम तक हम किसी तरह का रोड जाम और रेल की पटरी जाम नहीं करेंगे। भगवान श्रीराम के उद्घाटन के कार्यक्रम में जाट समाज नासूर बनना नहीं चाहता। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं।

2015 में केंद्र ने खत्म किया था आरक्षण

भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग वर्ष 1998 से चल रही है। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ अन्य 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर-धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। 23 अगस्त 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, लेकिन केंद्र ने यह आरक्षण नहीं या।

भरतपुर का आरक्षण आंदोलन से पुराना नाता

वर्ष 2023: माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदाय के लोगों ने 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 21 अप्रेल 2023 को आगरा-बीकानेर नेशनल हाईवे जाम कर दिया था।

वर्ष 2006: गुर्जर आंदोलन की मांग उठी,कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जरों के लिए ओबीसी के बाहर एसटी वर्ग में आरक्षण मांगा। आंदोलन जिलेभर में हुआ।

वर्ष 2007: गुर्जरों ने 21 मई 2007 फिर आंदोलन का ऐलान किया। इस बार आंदोलन के लिए पीपलखेड़ा पाटोली को चुना। यहां से होकर गुजरने वाले राजमार्ग को जाम कर दिया। आगरा-बीकानेर हाईवे बंद रहा था।

वर्ष 2008: 23 मार्च 2008 को भरतपुर के बयाना में पीलू का पुरा ट्रैक पर ट्रेनें रोकीं। सात आंदोलनकारियों को पुलिस फायरिंग में जान गंवानी पड़ी। इससे गुर्जर और भड़क गए।

वर्ष 2010: 24 दिसंबर 2010 को फिर गुर्जर आंदोलन हुआ। मुख्य केन्द्र भरतपुर जिले की बयाना तहसील का गांव पीलू का पुरा रहा। यहां पर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने रेल रोकी और महापड़ाव किया।

वर्ष 2015: 21 मई 2015 को वे फिर आंदोलन पर उतर आए। इस बार भी आंदोलन का मुख्य केन्द्र भरतपुर जिले की बयाना तहसील का गांव पीलू का पुरा ही रहा।

सरकार जाट समाज की समझदारी को समझ रही कमजोर

भगवान श्रीराम के उद्घाटन का कार्यक्रम तक सरकार ने जाट समाज की समझदारी को कमजोर समझा तो, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। 2017 में सरकार जाट समाज का आंदोलन देख चुकी है। उसकी पुनरावृत्ति जाट समाज करना नहीं चाहता। अगर सरकार जानबूझकर यही करवाने के राजी हैं तो, निश्चित तौर पर इस बार जाट समाज ने आर-पार की लड़ाई के मूढ़ में यह आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का निर्णय अब नहीं तो कभी नहीं का नारा देकर शुरू किया है।

भगवान श्रीराम के उद्घाटन के कार्यक्रम बाद उग्र होगा आंदोलन

जो भी जाट समाज को कदम उठाना पड़े, जैसे पटरी पर जाना है, सडकों पर जाना है, जो भी रास्ते जाट समाज को अपनाने पड़े, वह जाट समाज अपनाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। बार-बार सरकार को मौका दिया जा रहा है। 25 दिसंबर से जाट समाज ने आंदोलन की शुरुआत की, सात जनवरी को हुंकार सभा हुई, जिसमें आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षण विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे। सरकार को 10 दिन का समय दिया।

जाट आरक्षण आंदोलन के 16 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

कुरुक्षेत्र। करीब साढ़े सात साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान विभिन्न धाराओं में आरोपी जाट समुदाय 16 लोगों को अदालत ने वीरवार को बरी कर दिया।

फैसले के बाद समुदाय के लोगों में हर्ष जताया। साथ ही अधिवक्ता जय सिंह देशवाल को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं जाट धर्मशाला में लड्डू वितरित किया गया।

विदित हो कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मांगेराम ढुल, जगतार सिंह, रणजीत सिंह, मनजीत सिंह, सोमवीर, नसीब श्योकंद, दलबीर ढांडा, सुरेंद्र अंबरसर, शमशेर ढुल, बाबू राम, केहर सिंह, विकास उर्फ विक्की, जोगिंद्र, विशाल श्योकंद, मान सिंह और शमशेर सिंह को भादस की धारा 147, 149, 283 और 341 के तहत आरोपी बनाया गया था। मामले में करीब साढ़े सात साल के बाद सीजेएम जतिन गर्ग की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया।

जाट धर्मशाला के पूर्व प्रधान सुरेंद्र अंबरसर ने कहा कि यह सर्वसमाज की जीत है। उन्होंने समाज की ओर से न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। साथ ही सरकार से इस मामले में जेल में बंद अन्य लोगों को रिहा करने की मांग रखी, क्योंकि मामले में सरकार के साथ समझौता हो चुका है। इससे पहले समुदाय के लोगों ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए 32 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

अध्यक्ष की कलम से

वर्गीकरण नहीं, एकीकरण

साथियों,

भारत जैसा बड़ी जनसंख्या वाला विशाल देश उम्र के हिसाब से 75 साल का होकर भी अभी विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि इसके बाद में आजाद हुये देश संसार में अपनी खास प्रतिष्ठा रखते है।

बेशक हमारी 140 करोड़ जनसंख्या देश के लिए बड़ी समस्या है तो हमारी ताकत भी है। इतना बड़ा और सस्ता जनबल उचित प्रबंधन के द्वारा न केवल भारत अपितु एशिया का भाग्य बदल सकता है। इसका ताजा उदाहरण ये है कि हमारी विकास दर 7.02 तक पहुंच गई है। जबकि अभी भी जनबल का बहुत बड़ा हिस्सा अपने सदुपयोग की प्रतिक्षा कर रहा है।

यदि किसी तरीके से जात और धर्म को विकास प्रक्रिया से अलग रखा जा सके तो बंटा हुआ जनबल एक बंधी मुठ्ठी बनकर आसमान को चुनौति दे सकता है। इसके लिए हमारे नेताओं को सबसे पहले प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है जो उनकी पार्टियॉ ही कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ''सबका साथ सबका विकास'' के सिद्धांत को अपनाया जाये।

विपक्ष से बातचीत और भागीदारी के माध्यम से मन चाहे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। सरकारों के आने-जाने के बावजूद वर्गीकरण के स्थान पर एकीकरण का मंत्र सिद्धांत के रूप में अपनाना जरूरी है।

जय समता।

सम्पादकीय

''बदलनी होगी झूठ की बुनियाद''

हमने अपने पूरवर्ती सम्पादकीयों में जाति आरक्षण के लिए एकधिक बार 'रक्तबीज' शब्द का प्रयोग किया है। यह नाम इस तरह के दैत्य का है जो किसी वरदान के कारण जब भी मरता है तो जहॉ-जहॉ उसके रक्त की बूंदे गिरती हैं वहॉ एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता है। आधुनिक भारत में ठस दिमाग राजसत्ता का वरदान प्राप्त करे जाति आरक्षण सचमुच का रक्तबीज है। जिसे संविधान रूपी देव जितना भी अवांछित सिद्ध करता है वह उतने ही नये-नये रूपों में फिर से सामने आ खड़ा होता हैं।

ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जाति आरक्षण संविधान की मूल भावना नहीं है। क्योंकि वहॉ प्रयुक्त ''पिछड़ा'' शब्द को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जातियों से जोड़कर समस्या का सरलीकरण करते हुये इतना जटिल बना दिया है कि उसे फिर से सरल बनाना असंभव हो गया है। यह कितना भयानक और विचलित कर देने वाला सच है कि जिस कथित जातिवाद को समाप्त करने के लिए जाति आरक्षण चल रहा है उसमें हर तीसरे चौथे महिने कतिपय नयी जातियॉ जुड़ती जा रही है?

जातिवाद से पहले कथित शाब्द का प्रयोग हमें लगता है सर्वथा उचित और तथ्यपरक है। 2005 के आसपास इस लेखक ने प्रख्यात गांधीवादी नेता निर्मला देशपाण्डे से ''आतंकवाद'' पर प्रश्न किया तो उन्होंने साफ कहा था आतंक का कोई वाद नहीं होता। ठीक यही तथ्य जातिवाद पर लागू होता है। क्योंकि वस्तुत: वाद विचार का होता है। जैसे मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद आदि-आदि। लेकिन जात ओर जातियॉ कभी भी विचार पर आधारित नहीं होते है। सभी जानते है कि प्रत्येक जात के मूल में कर्म सिद्धांत लागू होता है जो सीधे तौर पर वर्ण से जुड़ा है और पूरी दुनिया में समान रूप से लागू है।

भारत की वर्ण व्यवस्था साफतौर पर तथ्यपरक है और शास्त्रों में लिखित रूप से दर्ज है। लेकिन जिसे बार-बार जात और जातियॉ कहा जाता है उनका उद्भव कब और किसके द्वारा हुआ यह स्पष्ट नहीं है। नीच-ऊंच, छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब का भेद मानव समाज में एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में वर्तमान रहा है ठीक ऐसा ही भेद किसी जाति और उसकी उपजाति और उसकी उपजातियों में भी रहा है। यही भेद वर्गो के भीतर भी था। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र का संघर्ष इसका एक उदाहरण है तो दूसरी तरफ ऋषि कोहट के पुत्र द्वारा ऋषि बन्दी को पराजित करना भी पौराणिक प्रमाण है।

वर्तमान की बात करें तो जाति आरक्षण ऐसी जटिल समीकरण है कि उसे सुलझाने में कम से कम भारतीय संविधान समर्थ होते हुये भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि पूरा जाति आरक्षण झूठ की बुनियाद पर शुरू किया गया और विगत 75 सालों में झूठ के खाद-पानी से ही फलिभूत रहा है। आवश्यकता इस झूठ को समझने और उसे बदलने की है। लेकिन दुर्भाग्य से कथित राजनेताओं और पार्टियों को ऐसा करना बिल्कुल भी पंसद नहीं है। अब भारत भाग्य विधाता केवल भगवान हैं।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण देश में ऐसा मुद्दा है जिसका लाभ तो सभी राजनीतिक दल उठाना चाहते है लेकिन वे इसे सुलझाने की बजाय उलझाते ही जाते है। हालात तो यहां तक पहुंच गए है कि लाभ उठाने के फेर में राजनीतिक दल इस मामले में संविधान की भावना और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की भी अवहेलना कर रहे है।

संभलकर सुलझाएं आरक्षण मसला

डॉ. सत्यनारायण सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत, राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव भी रहे है।

उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश दिये है कि अति पिछड़ों के नाम पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम नहीं किया जा सकता, तुलनात्मक सामाजिक स्तर व जनसंख्या का ध्यान रखना आवश्यक है। जब से पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू हुआ तब से आज तक किसी आयोग ने सूचियों की समीक्षा नहीं की।

पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित एक चौथाई से अधिक जाति-वर्ग ऐसे है जिन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। सम्पूर्ण आरक्षण प्रकियॉ मजाक बन गई है। निश्चय ही इससे समाज में कटुता व अशांति बढ रही है।

संविधान के अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन का मापदण्ड निर्धारित कर सूची तैयार करने के लिए आयोग का गठन करेगा। यह देश में ऊंच-नीच, वर्ग विभाजन, धर्म विभाजन आदि निषेध व निर्योग्यताओं का ध्यान रखकर केन्द्र व प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी सूचियॉ बनायेगा जिससे उस पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर, विशेष प्रोत्साहन, शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में अनेक फैसले दिये है और उनका निष्कर्ष यह है कि सामाजिक पिछड़ेपन में आर्थिक पिछड़ापन व निर्धनता सम्मिलित है। व्यवसायिक वर्ग (जाति नहीं) जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े है, जिनको सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें विशेष अवसर, विशेष छूट, विशेष प्रोत्साहन, विशेष रियायत व आरक्षण संवैधानिक है। केन्द्रीय स्तर पर गठित मंडल आयोग ने मापदण्ड निर्धारित किये। पर्याप्त सर्वेक्षण पश्चात केन्द्रीय व राज्यों की सूची बनाई। इन्द्रा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले के बाद आयोग की रिपोर्ट लागू हुई परन्तु भारत सरकार ने अलग से 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण का आदेश भी दिया जिसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मंशा के प्रतिकूल है। मात्र सम्पत्ति और आय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सामाजिक पिछड़ापन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट व सूचियों जो राज्य में प्रचलित सूचियों के आधार पर बनी थी, को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर पर उस सूची की समीक्षा करने, ऐसे वर्गो जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े थे परन्तु जुड़ने से वंचित रह गये थे, उन्हें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जोड़ने और

जिन वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है या सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं है, उन्हें सूची से हटाये जाने के संबंध में निर्देश दिये। उच्चतम न्यायालय की मंशा यह नहीं थी कि राजनीतिक आधार पर केन्द्रीय अथवा राज्य स्तरीय आयोग बने और वे राजनैतिक दबाव से इसमें भारी बदलाव करें या सरकारे वोटों की खातिर कुछ भी घोषणा या निर्णय करें। ऐसे वर्ग जिन्हें मंडल आयोग ने उच्च वर्ग बताया है या जिन पिछड़े वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है, उन्हें राजनैतिक कारणों से, दबाव की राजनीति के चलते पिछड़ा वर्ग में जोड़ दिया जाय। इस शुरूआत में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का बंटाधार कर उसे स्थायी समस्या का रूप दे दिया। राजनैतिक दबाव के आधार पर फैसला का नतीजा यह हुआ कि आज विभिन्न वर्गों में वैमनस्य, भ्रांतियॉ व कड़वाहट है। प्रत्येक वर्ग अब अधिकाधिक लाभ लेने की चेष्टा में है। अब राजनैतिक दबाव बनाकर पिछड़ा वर्ग सूची में नाम जोड़ने या वर्गीकरण की मांग हो रही है। पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिये है। अति पिछड़ों के नाम पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम नहीं किया जा सकता, तुलनात्मक सामाजिक स्तर व जनसंख्या का ध्यान रखना आवश्यक है। जब से पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू हुआ तब से आज तक किसी आयोग ने सूचियों की समीक्षा नहीं की। किसी एक वर्ग को भी पिछड़ा वर्ग सूची में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने पर भी नहीं हटाया बल्कि नाम ही जोड़ते रहे। अनेक राज्यों में पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 30-35 प्रतिशत से बढकर 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है। फिर, सभी वर्ग अपनी रातनैतिक ताकत दिखाकर इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे है। राजनैतिक दबाव में संविधान की मंशा और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की सीमा बढाकर कानून पास कर दिया। आज देश में आरक्षण की स्थिति यह हो गई है कि चाहे वह दलित वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो अथवा पिछड़ा वर्ग हो, जो सम्पन्न हो गये है, जो शिक्षित हो गये है, जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो गया है, वे लाभ प्राप्त कर रहे है। विकृतियॉ व विसंगतियॉ बढ गई है। कुछ परिवारों के अनेकानेक व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा में अधिकार बन जाने पर भी आरक्षण लाभ ले रहे है। दलित और पिछड़ा वर्गों की सूचियों में केवल कुछ जाति-वर्ग लाभ प्राप्त कर रहे है। पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित एक चौथाई से अधिक जाति-वर्ग ऐसे है जिन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। सम्पूर्ण आरक्षण प्रकियॉ मजाक बन गई है। निश्चय ही इससे सामाजिक असमानता व बिखराव व कटुता, अशांति बढ रही है। आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिये परन्तु इसमें आई विकृतियों और विसंगतियों को हटाने का प्रयास करना होगा अन्यथा एक वर्ग और बढेगा। राजस्थान में जिस प्रकार की स्थितियॉ बनी है, वह सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का परिणाम है। उच्च स्तर पर राजनीतिज्ञों, न्यायविदों, शिक्षाविदों व सामाजिक शास्त्रियों की समिति बनाकर पूरी आरक्षण व्यवस्था पर संविधान व उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है। संविधान और भ्रातृत्व की भावना के विपरीत सरकारों को राजनैतिक हितों के बजाय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिये।

पौराणिक कथन: 'साम्ब'

जांबवती के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के 10 में से एक पुत्र जो सूर्य के मित्र रूप की सेवा करके कोढमुक्त हुए।

लोकतंत्र कभी नहीं थकता,
जातिवाद फल कभी न पकता।
उसका गिरना ही निश्चित है-
लोक लाज बिन जो भी बढता।।

कविता

भारत में आरक्षण खेल

5 साल डिग्री कमा कर
भी बर्बाद हो गया।
जनरल कास्ट में जन्म लेना
अब अपराध हो गया।
गरीब बाप के एक बेटे को
संविधान ने तोड़ दिया,
ऊँची जात का ठप्पा लगा,
आरक्षण ने निचोड़ दिया।
पढ़ाई लिखाई के खर्चे से
पिता को कर्जा मार गया,
80 प्रतिशत लेकर बेटा
30 प्रतिशत से हार गया।
वोट बैंक के आगे हारा
तेज दिमाग बेचारे का,
आरक्षण ने गला घोंटा
माँ के अकेले सहारे का।
आरक्षण का ऐसा खेल
भारत में खेला जाता है,
बांध कर पैर घोड़े के
अनपढ़ गधे को जिताया जाता है।
खुद को मासूम बताते
जनरल के हाथ काट कर,
अनपढ़ डॉक्टर इंजीनयर बनते
आरक्षण को चाट कर।
हम भी तो गरीब हैं यारों
पर सवर्ण पुकारे जाते हैं,
सरे आम हराने की हिम्मत नहीं
कोटे से मारे जाते हैं।
इन आस लगायी आँखों से
कब लहू उतारा जायेगा
पता नहीं कितनों का यूँ ही
'कौशल' मारा जायेगा।
साभार- सोशल मीडिया

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं - मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।

पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए। अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''

इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। - इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। - इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

पुलिस विभाग ने सामान्य/ओबीसी कर्मचारियों के लिए दी खुशखबर

समता आन्दोलन की शुरू से ही मान्यता रही है कि सर्विस में आते समय और बाद में किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा वर्ग के कार्मिक किसी भी सूरत में सामान्य पदों पर पदोन्नत नहीं हो सकते है।

जयपुर। ठीक नये साल के पहले दिन यानि एक जनवरी 2024 को कोटा के पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश क्रमांक प.3()कोरेफोर्स/2022 जारी किया है।

आदेश में पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुये 11 संस्थापन बोर्ड बैठक के निर्देशों के तहत पूर्व जारी चयन सूची को रिव्यू किया गया और सहायक उप निरीक्षक को वरिष्ठता क्रम में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए संशोधित चयन सूची जारी की गई है।

आदेश में कहा गया है कि सहायक उपनिरीक्षक से उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति वर्ष 2020-21 की पूर्व तैयार की गई चयन सूची में चयनित सहायक उप निरीक्षक सर्व श्री खेमराज मीणा/छोटूलाल मीणा, जिला बूंदी एवं दानमल/ श्रीलाल मीणा, जिला झालावाड़ (दोनों एसटी वर्ग) ने राज्य सेवा में प्रवेश के समय (सीधी भर्ती) अपने वर्ग में आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध नियुक्त होने से सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन के पात्र नहीं होने के फलस्वरूप इनके नाम चयन सूची से पृथक किये जाते है। आदेश प्रसन्न कुमार खमेसरा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

> इस रिवर्सन आदेश में पहली बार इस नियम को लिखित में सरकारी मान्यता मिली है। यह सफलता दौसा और बारां जिले के पुलिसकर्मियों की हिम्मत, संघर्ष और पुरूषार्थ का परिणाम है। संघर्ष करने वालों की हार नही होती। जय समता

यह आदेश सामान्य/ओबीसी वर्ग कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी रहेगा। समता आन्दोलन की शुरू से ही मान्यता रही है कि सर्विस में आते समय और बाद में किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अज/अजजा वर्ग के कार्मिक किसी भी सूरत में सामान्य पदों पर पदोन्नत नहीं हो सकते हैं।

केंद्र के दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ, कार्मिक मंत्रालय का आदेश

नई दिल्ली। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर केंद्र के दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने का निर्णय किया है।

आदेश में कहा गया है कि केंद्र के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से 'सैद्धांतिक' आधार पर समूह 'ए' के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने विकलांग (दिव्यांगजन) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में यह जानकारी दी है।

आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों को 30 जून, 2016 से 'सैद्धांतिक आधार' पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से 'सैद्धांतिक' आधार पर समूह 'ए' के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

इसमें कहा गया है कि 30 जून, 2016 से दिव्यांग कर्मचारी के वास्तव में पदभार ग्रहण करने तक इस तरह की कोई भी पदोन्नति केवल सैद्धांतिक आधार पर होगी और पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ उस तारीख से प्रभावी होगा जब वह वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करता है।

आदेश में कहा गया है कि इसका मतलब है कि जिस तारीख को उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नति का लाभ मिलता है और जिस तारीख को वे वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं, उस तारीख के बीच की अवधि के लिए उन्हें कोई वित्तीय बकाया स्वीकार्य नहीं होगा। कार्मिक मंत्रालय ने अतिरिक्त पदों (एक विशिष्ट अवधि के लिए विशेष परिस्थितियों में सृजित स्थायी पद) के सृजन का भी सुझाव दिया है ताकि विभिन्न ग्रेड में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता प्रभावित न हो और प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके।

आदेश में कहा गया है, '30 जून 2016 के बीच पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को सैद्धांतिक आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने और पद के वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने से विभिन्न ग्रेड में अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है। इस वजह से ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कुछ अधिकारियों को उनकी मौजूदा या वर्तमान वरिष्ठता सूची या चयन सूची के वर्ष के बाद चुनिंदा सूची या वरिष्ठता सूची में रखना पड़ सकता है।'

इसमें कहा गया है कि इसका सिलसिलेवार ढंग से असर हो सकता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में बाद के वर्षों में वरिष्ठता सूचियों में संशोधन हो सकता है, जिससे प्रशासनिक असुविधा हो सकती है। आदेश में कहा गया है, 'ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों के ग्रहणाधिकार को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकते हैं, जो 30.06.2016 को या उसके बाद की तारीख से प्रभावी होंगे, जब तक कि वे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो जाते।

खाप चौधरी डॉण् सोनू बोले. कश्यप समाज को आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं

मुजफ्फनगर । खाप चौधरी डॉ सोनू कश्यप ने कहा कि अगर कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिया तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे।

मुजफ्फनगर के बुढ़ाना में कश्यप समाज के खाप चौधरी डॉण् सोनू कश्यप ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन जातियों को आरक्षण नहीं मिला तो वे भाजपा को वोट भी नहीं देंगे।

कश्यप समाज के लोग तहसील मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। धरना स्थल पर कश्यप समाज के खाप चौधरी डॉण् सोनू कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे रही है। वर्ष 1994 से आज तक कश्यप समाज की 17 उपजातियां आरक्षण की मांग करती आ रही हैं। 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री से इन जातियों को आरक्षण मिलने की उम्मीद की थी। सभी जातियों ने शत.प्रतिशत भाजपा के पक्ष में मतदान किया था।

महर्षि कश्यप एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि 17 जातियां प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटों पर निर्णायक भूमिका में निवास करती हैं। इन जातियों को आरक्षण नही मिला तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

धरना स्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी अरुण कुमार को कश्यप समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।

अब थकान से उबरे ये देश

प्रश्न ये है कि क्या देश थकता है ? हॉ थकता है। आजादी के समय में 33 करोड़ जनसंख्या वाला देश अब 135 करोड़ लोगों की आबादी को लेकर चल रहा है। अत: साधारण समझ का इन्सान भी कह देगा कि देश थकता जा रहा है। बेशक, जनसंख्या के बोझ से थक गया है देश। यदि भारत भूमि को ''अमृतस्य पुत्रा:'' का वैदिक वरदान ना होता तो संभवतया ये देश थक कर बैठ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक बड़ा और मूल कारण है कि बीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर बारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध के काल को छोड़ दें तो भारत देश में लोकतंत्र से भी बड़ी परम्परा गणतंत्र व्यवस्था थी जो प्रकारान्तर से आज भी है।

कहने वाले चीन का उदाहरण देकर कहते हैं कि वहॉ का गणतंत्र और लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है फिर भी वो भारत से बड़ी जनसंख्या के बावजूद ''वीटोपावर'' है। है जी। बेशक है। लेकिन सबको याद है कि सोवियत संघ भी इसी तरह की वैश्विक शक्ति था। फिर उसका क्या हुआ? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनो ''वीटोपावर'' देश अपने विकास की सनक में जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे है उसमें ''लोक'' नामक तत्व का स्थान नहीं होता है। केवल एक पार्टी और एक आयामी दृष्टिकोण के कारण ये देश दूर से चमकती नकली वस्तु भी हो सकते हैं। उपरोक्त बातें कोरा उदाहरण नहीं वरन वो तथ्य हैं जो भारत को दुनिया में विशेष बनाते हैं। भारत इनमें अलग और अछूता रहकर ही ये दर्जा प्राप्त करता है। अन्यथा देखिये ना देश की आजादी के ठीक बाद आठ सौ साल की गुलामी की थकान ने भारत के दो नहीं तीन टुकड़े कर दिये। लेकिन उसके बाद आतंक, गरीबी, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, विदेशी हमले आदि कितनी ही बड़ी बाधाओं का बोझ कंधों पर उठाये ये देश चलता रहा लेकिन थका नहीं। न ही आगे टूटा। इसका एक और मात्र कारण है यहॉ लोकतंत्र में लोक की प्राणवान उपस्थिति का सदा और सतत रहना। परंतु आज के संदर्भ में देखें जो भारत एक बार फिर से थका-थका लगने लगा है। उपरी तौर पर ये अब भी ऊर्जावान दिखाई देता है लेकिन भीतरी सच ये है कि जातिवाद के जहर का असर इसके स्नायुओं पर होने लगा है। बेशक भारत देश जाति आधारित आरक्षण के कारण शरीर से जवान किंतु मन से बुढा हो गया है। ये बुढापा ही तो थकान का स्पष्ट लक्षण है। जब शरीर दिमाग के साथ चलना बंद कर देता है। यही तो हो रहा है। तमाम सही प्रयास सोच की सीमा तक तो सही है लेकिन प्रयोग के धरातल पर पहुँचते-पहुँचते खोखले साबित हो जाते हैं। साधारणत: लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रैस चार मुख्य आधार स्तम्भ पूरी दुनिया में मान्य और स्वीकृत है। लेकिन एक पॉचवा स्तम्भ भी है ''जातिवादी आरक्षण'' यही वो मुख्य कारक है जो शेष चारों स्तम्भों से मेल नहीं खाता है। इसीसे देश जब तब लड़खड़ाता है और यही लड़खड़ाहट उसकी थकान का कारण है। अब समय आ गया है कि भारत देश इस पॉचवे स्तम्भ को हटा दे ताकि देश सीधा सरपट दौड़ सके। - समता डेस्क

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in